चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रबन्ध मण्डल की 161 वीं बैठक

का कार्यवृत्त

दिनाँक : 19.05.2022

दिन : गुरूवार

समय : पूर्वान्ह 11:00 बजे

स्थान : कुलपति महोदय का सभाकक्ष

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
प्रबन्ध मण्डल की 161वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनॉक : 19.5.2022

सभास्थल : कुलपति महोदय का समिति कक्ष

समय : पूर्वान्ह 11.00 बजे

उपस्थिति :–

1.	**डा0 डी0आर0 सिंह,** कुलपति एवं अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल	अध्यक्ष
2.	**श्री अनुराग यादव,** सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान **उ0प्र0 शासन**	सदस्य / प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव कृषि शिक्षा
3.	**श्री अजय जौहरी,** अपर निदेशक कोषागार, कानपुर मण्डल	सदस्य / प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव वित्त
4.	**श्री रिपुदमन सिंह,** क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानुपर	सदस्य / प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा
5.	**श्री टी0पी0 चौधरी,** अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) उ0 प्र0	सदस्य / प्रतिनिधि निदेशक कृषि
6.	**डा0 आर0एन0 सिंह** अतिरिक्त निदेशक पशुपालन	सदस्य / प्रतिनिधि निदेशक पशुपालन
7.	**श्री विष्णु प्रताप सिंह,** कृषि वैज्ञानिक	सदस्य
8.	**श्री सत्य नारारण शुक्ला,** प्रगतिशील कृषक	सदस्य
9.	**श्रीमती पूनम देवी,** महिला सामाजिक कार्यकर्ती	सदस्य
10.	**डा0 अजीत कुमार शासनी,** निदेशक, आई0सी0ए0आर0	सदस्य
11.	**श्री आर0एन0 सिंह,** अर्थ नियन्त्रक, सचिव प्रबन्ध मण्डल	सचिव

1.		प्रस्तावः– मा0 प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 6.12.2021 को सम्पन्न हुयी 160वीं बैठक का कार्यवृत्त का अनुमोदन। निर्णयः– प्रबन्ध मण्डल के मा0 सदस्यों द्वारा 160 वीं बैठक दिनांक 6.12.2021 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार विर्मश किया गया। 160वीं बैठक में अपर मुख्य सचिव के प्रतिनिधि श्री शत्रुन्जय सिंह, विशेष सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान द्वारा पूरक–9 में लिये गये निर्णय पर उनके द्वारा पत्र ई–मेल के माध्यम से विश्वविद्यालय को दिनांक 24.12.2021 को भेजा गया। उपरोक्त पत्र पर चर्चा की गयी और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में आई0सी0ए0आर0 से जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, उससे शासन को अवगत कराते हुए अद्यतन मार्ग दर्शन प्राप्त कर लिया जाये। इस प्रकार पूरक–9 को छोड़कर शेष कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2.		प्रस्तावः– चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 6.12.2021 को सम्पन्न हुयी 160वी बैठक में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही। निर्णयः– प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 6.12.2021 को सम्पन्न हुयी 160वी बैठक में लिये गये निर्णयों पर अद्यतन कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध मण्डल के सदस्यों को अवगत कराया गया।
3.		प्रस्तावः– चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 8.10.2020 को सम्पन्न हुयी 159वीं बैठक तथा दिनांक 02.02.2021 को सम्पन्न हुयी आकस्मिक बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही। निर्णयः– प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 8.10.2020 को सम्पन्न हुयी 159वीं बैठक की कृत कार्यवाही से सम्बन्धित बिन्दुओं पर चर्चा के दौरान श्री अनुराग यादव, सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान उ0प्र0 शासन द्वारा 158वीं बैठक के मद सं0–9 के प्रस्तर 1 के0वी0के0 का आरक्षण रोस्टर तैयार कराने से सम्बन्धित बिन्दु पर उनके द्वारा यह परामर्श दिया गया कि रोस्टर संबन्धी आरक्षण जिज्ञासा संबन्धी शासनादेश दिनांक 22.10.2001 का परिशीलन कर उक्त के क्रम में तैयार रोस्टर का परीक्षण भी कर लिया जाये। **साथ ही आरक्षण विषयक अद्यतन नियमों का अवलोकन भी कर लिया जाय।**
4.		प्रस्तावः– निदेशालय बीज एवं प्रक्षेत्र में संचालित मेगा रिवाल्विंग फण्ड 'फील्ड क्राप्स' में धनाभाव होने के कारण निदेशालय के अधीनस्थ प्रक्षेत्रों पर कार्यरत दैनिक श्रमिकों (समान कार्य समान वेतन) का भुगतान तथा प्रक्षेत्रों व संयन्त्र के विद्युत बीजकों माह मार्च 2022 तक कुल धनराशि रू0 60.62 लाख का भुगतान विश्वविद्यालय के नानप्लान/अन्य श्रोतो की आय से वहन किये जाने के सम्बन्ध में। निर्णयः– प्रक्षेत्रों की आर्थिक स्थिति खराब होने के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की गयी। प्रबन्ध मण्डल को यह अवगत कराया गया कि सम्बन्धित प्रक्षेत्रों पर 87 श्रमिक समान कार्य समान वेतन के आदेश से आच्छादित है, जिसके कारण सम्बन्धित कार्मिकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाता है, जिसके कारण प्रक्षेत्रों की आय के सापेक्ष व्यय अत्याधिक है। सम्बन्धित कार्मिकों का पिछले कई माहों से वेतन भी लम्बित है। माननीय प्रबन्ध मण्डल द्वारा दैनिक श्रमिकों के वेतन भुगतान के दृष्टिगत रूपये 60.62 लाख के भुगतान विश्वविद्यालय की **स्वयं की** आय से निम्न शर्तो के साथ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

		1. फार्मों की व्यवसायिक दक्षता बढ़ायी जाये। 2. प्रक्षेत्रों का उत्पादन बढ़ाया जाये। 3. **यह अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थिति में मात्र एक बार प्रस्तावित है और इसको यथा उपलब्धता समायोजित कराया जायेगा।** भविष्य में इस प्रकार के प्रस्ताव वित्त उपसमिति से अनुमोदन के उपरान्त प्रस्तुत किये जायें।
5.		प्रस्तावः–शासन द्वारा विश्वविद्यालय के फसल शोध प्रक्षेत्र, नवाबगंज, कानपुर की 14.06 हे0 भूमि यू0पी0एम0आर0सी0, कानपुर को हस्तगत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है, जिसके स्थान पर राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, बिधनू, कानपुर नगर तथा राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, बारा, कानपुर देहात विश्वविद्यालय को हस्तगत किया जाना प्रस्तावित है। यू0पी0एम0आर0सी0, कानपुर द्वारा नवाबगंज प्रक्षेत्र की हस्तगत की जाने वाली भूमि का चिन्हॉकन कर लिया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के कार्यालय भवन, लैब, समरसेबिल, शोध हेतु निर्मित ग्रीन हाउस, पाली हाउस ग्लास हाउस आदि तथा प्रक्षेत्र के भवन, गोदाम, कार्यालय, कैटिल शैड, गैराज, खलिहान, नलकूप, पक्की सिचाई नाली, आवास, रोड पेड, बाउण्ड्री इत्यादि प्रभावित हो रहे है। जिनकों हटवाये/तोडे जाने के पूर्व उनके स्थापना हेतु विश्वविद्यालय द्वारा चिन्हित स्थान पर यू0पी0एम0आर0सी0, कानपुर द्वारा अपने व्यय पर बनवा कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। निर्णयः– मा0 प्रबन्ध मण्डल के द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
6.		प्रस्तावः– विश्वविद्यालय के फसल शोध प्रक्षेत्र, नवाबगंज, कानपुर की 14.06 हे0 भूमि शासन के निर्देशानुसार यू0पी0एम0आर0सी0, कानपुर को हस्तगत किये जाने के फलस्वरूप बदले में राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, बिधनू, कानपुर नगर तथा राजकीय कृषि प्रक्षेत्र बारा, कानपुर देहात विश्वविद्यालय को हस्तगत किया जाना प्रस्तावित है। उक्त दोनो प्रक्षेत्र विश्वविद्यालय मुख्यालय से दूर होने के कारण शोध व बीज उत्पादन कार्य हेतु वैज्ञानिकों व विद्यार्थियों को वहॉ जाने–आने के लिये दो बोलरो वाहन तथा एक मिनी बस विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। निर्णयः– प्रस्ताव वित्त उपसमिति से अनुमोदन के उपरान्त प्रस्तुत किये जायें।
7.		प्रस्तावः– विश्वविद्यालय के 14 प्रक्षेत्रों, 02 बीज विधायन संयन्त्रों जनक व आधारीय तथा 14 कृषि विज्ञान क्रेन्दों पर विद्युत उपयोग व व्यय में कमी लाने हेतु शत–प्रतिशत सोलर पैनल लगवाये जाने के सम्बन्ध में। निर्णयः– मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा व्यय/बचत के सम्बन्ध में "कास्ट बैनीफिट एनालिसिस" करते हुये तुलनात्मक चार्ट बनाकर एवं उक्त सोलर पैनल के लगाने में कितनी बचत होगी, के साथ प्रस्ताव मा0 वित्त उपसमिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।
8.		प्रस्तावः– कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक/समकक्षीय से सह–प्राध्यापक/समकक्षीय एवं सह–प्राध्यापक/समकक्षीय से प्राध्यापक/ समकक्षीय पदनाम दिये जाने हेतु सम्पन्न कराये गये साक्षात्कार के चयन समिति की संस्तुतियों के अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव।

		निर्णयः– उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री अनुराग यादव, सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान उ0प्र0 द्वारा पत्र सं0 42/स0कृ0(अ0)/2022 दिनांक 18.05.2022 प्रेषित किया गया है, जिसमें उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह अवगत कराया गया कि उक्त प्रकरण शासन के पत्र सं0 1988672/67–कृशिअ–21–1001(001)/26/2019 दिनांक 20.12.2021 के अन्तर्गत शासन में विचाराधीन है तथा शासन के आदेश सं0 1705/67–कृशिअ–20–400 (35)/06 दिनांक 29.09.2020 द्वारा यह निर्देश दिया गया कि ऐसे प्रकरण जो शासन को सन्दर्भित हो, उन्हें कार्यवाही हेतु प्रबन्ध समिति की बैठक में न लाया जाये। कृपया उपरोक्त विषय शासन को सन्दर्भित होने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया कि शासन से सम्बन्धित पत्र का निराकरण करा लिया जाय। तद्क्रम में उक्त प्रस्ताव स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।
9.		प्रस्तावः– डा0 मुकेश श्रीवास्तव, प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान का चयन वाह्य सेवा में होने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत धारणाधिकार को संशोधित किये जाने विषयक प्रस्ताव। निर्णयः– डा0 मुकेश श्रीवास्तव, पादप रोग विज्ञान विभाग जिनका चयन बाह्य सेवा में होने के फलस्वरूप वि0वि0 द्वारा धारणाधिकार स्वीकृत किये जाने के संबन्ध में है। यह निर्णय हुआ कि श्री श्रीवास्तव को कार्यमुक्त किये जाने के 07.04.2016 से 06.04.2021 तक 5 वर्ष का धारणाधिकार स्वीकृत करने के साथ वि0वि0 की आवश्यकताओं के दृष्टिगत उन्हें शीघ्र वि0वि0 में कार्यभार ग्रहण करने हेतु नोटिस जारी किया जाये।
10.		प्रस्तावः– कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम (CAS) के अन्तर्गत सहायक प्राध्यापक/समकक्षीय से सह–प्राध्यापक/समकक्षीय एवं सह–प्राध्यापक/समकक्षीय से प्राध्यापक/समकक्षीय पदनाम पाये शिक्षकों/समकक्षीय की अर्हता तिथि निर्धारित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव। निर्णयः– उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री अनुराग यादव, सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान उ0प्र0 शासन द्वारा पत्र दिनांक 18.05.2022 प्रेषित किया गया है, जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी/चयन समिति के अभिलेखों के अवलोकन के उपरान्त यह सुझाव दिया गया कि शासन आदेश सं0 1152/67–कृशिअ–20–400(35)/06 दिनांक 21.08.2020 के दृष्टिगत वित्तीय उपाशय निहित होने के कारण सम्बन्धित प्रकरण प्रबन्ध मण्डल से पहले वित्त उप समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिये। अतः उक्त प्रस्ताव तद्नुसार विचारोपरान्त स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।
11.		प्रस्तावः– विश्वविद्यालय अभियंत्रण विभाग में रिक्त तकनीकी/गैर तकनीकी पदों पर शैक्षिक योग्यता के अनुसार आउट सोसिंग के माध्यम से कार्मिक योजित किये जाने हेतु अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव। निर्णयः– उक्त प्रस्ताव के संबन्ध में श्री अनुराग यादव, सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान उ0प्र0 द्वारा यह सुझाव दिया गया कि स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग कर्मचारी रखने के पूर्व यह देख लिया जाये कि इस संबन्ध में मा0 उच्च न्यायालय अथवा राज्य सरकार के कोई निषेध तो नहीं है। यदि ऐसा कोई प्रकरण नहीं है तो आवश्यकतानुसार एक वर्ष या जब तक शासन से अनुमति प्राप्त कर नयी नियुक्ति हो जाये, जो भी पहले हो तक ही आउटसोर्स किया जाना उपयुक्त होगा। इस आशय का उल्लेख विज्ञापन/संविदा/आदेश की शर्तों में किया जाना उचित होगा।

12.		प्रस्तावः– डा0 रूद्र प्रताप नारायण सिंह, वैज्ञानिक (प्रसार), श्री अरविन्द्र कुमार, वैज्ञानिक(सस्य), डा0 देवेन्द्र बहादुर सिंह, वैज्ञानिक (उद्यान) एवं डा0 अवनीन्द्र कुमार तिवारी, वैज्ञानिक (फसल सुरक्षा) उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम, लखनऊ में प्रतिनियुक्ति के आधार पर परियोजना प्रबन्धक एवं डा0 महेन्द्र प्रसाद, वैज्ञानिक (पशुपालन), राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) लखनऊ में परियोजना अधिकारी के पद पर चयन हो जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त धारणाधिकार स्वीकृत किये जाने हेतु विचारार्थ प्रस्ताव। निर्णयः– उक्त प्रस्ताव पर मा0 प्रबन्ध मण्डल द्वारा विचार विमर्श किया गया। इस संबन्ध में शासन द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि "सम्बन्धित कर्मचारी अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति अवधि के पश्चात सम्प्रति वि0वि0 के आधीन संचालित के0वी0के0 में कार्यरत है, और उनकी सेवाओं को वि0वि0 प्रबंध समिति द्वारा ही नियमित किया जा सकता है। शासन स्तर से इस संबन्ध में निर्देश दिया जाना उपयुक्त नहीं होगा।" इस संबन्ध में मा0 सदस्य श्री विष्णु प्रताप सिंह (कृषि वैज्ञानिक) द्वारा यह अवगत कराया गया कि "तत्समय वह जे0एम0डी0, उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम के रूप में कार्यरत थें। चार वैज्ञानिक 1. डा0 रूद्र नारायण सिंह, 2 श्री अरविन्द कुमार 3. डा0 देवेन्द्र बहादुर सिंह 4. डा0 अवनीन्द्र कुमार तिवारी जो उनके अधीन ही कार्यरत थें। शासन की आवश्यकता के दृष्टिगत उन्हे प्रतिनियुक्त से अवमुक्त किया जाना सम्भव नही था इसमें इन अधिकारियों का कोई दोष नही है।" अतः उपरोक्त के दृष्टिगत सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित कार्मिको के विशेष परिस्थिति के दृष्टिगत प्रस्ताव में उल्लिखित अतिरिक्त अवधि का धारणाधिकार स्वीकृत करने से सम्बन्धित प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि स्वीकृति के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सम्बन्धित कार्मिकों का लीव सैलरी/पेंशनरी अंशदान विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है।
13		प्रस्तावः– उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 की धारा–13(4)डी के अनुसार कृषि विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों (प्रसार, शोध एवं शिक्षण) को सत्रांत लाभ स्वीकृत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव। निर्णयः– **सम्यक विचारोपरान्त उक्त प्रस्ताव निरस्त किया गया।**
14		प्रस्तावः– बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा मे संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 के वास्ताविक तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 के अनुमानित आय–व्यय पर विचार एवं स्वीकृत के सम्बन्ध में प्रस्ताव। निर्णयः– **प्रस्ताव वित्त उपसमिति से अनुमोदन के उपरान्त प्रस्तुत किये जायें।**
15		प्रस्तावः– मत्स्य महाविद्यालय एवं शोध केन्द्र, इटावा में शासन द्वारा कोई अनुदान प्राप्त न होने के कारण संचालित पाठ्यक्रम के शुल्क से प्राप्त आय के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 के वास्तविक तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 के अनुमानित आय–व्यय पर विचार एवं स्वीकृत के सम्बन्ध में प्रस्ताव। निर्णयः– प्रस्ताव वित्त उपसमिति से अनुमोदन के उपरान्त प्रस्तुत किये जायें।

16		प्रस्तावः– दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में शासन द्वारा कोई अनुदान प्राप्त न होने के कारण संचालित पाठ्यक्रम के शुल्क से प्राप्त आय के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 के वास्तविक तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 के अनुमानित आय–व्यय पर विचार एवं स्वीकृत के सम्बन्ध में प्रस्ताव। निर्णयः– प्रस्ताव वित्त उपसमिति से अनुमोदन के उपरान्त प्रस्तुत किये जायें।

अन्त में बैठक मा0 अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों को सधन्यवाद सम्पन्न हो गयी।

27/5/22

{आर0एन0 सिंह}
अर्थ नियन्त्रक
एवं
सचिव प्रबन्ध मण्डल

अनुमोदित

27/5/22

(डी0आर0 सिंह)
कुलपति
एवं
अध्यक्ष प्रबन्ध मण्डल